

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 886 /2019 दिनांक : 11.04.2019

श्री रवि कुमार गुप्ता (RJ0068), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को दिनांक 22.04.2019 से 01.05.2019 तक 10 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 21.04.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/26/1992/3599

दिनांक : 11.4.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 42 दिनांक 03.04.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रवि कुमार गुप्ता (RJ0068), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ।


11.4.2019
सहायक रजिस्ट्रार